29

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक प.4(120)परि / सामा. / 2014 / 1722 जयपुर, दिनांकः– 29-1-2015

समस्त
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त(जोन),
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
उपायुक्त (प्रवर्तन),
जिला परिवहन अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– कार्यालय को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने बाबत्।

"स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Campaign)" के अन्तर्गत ली गई स्वच्छता शपथ, मुख्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक प.4 (120) परि / सामा. / 2014 / 38 दिनांक 22.09.2014 व उसके साथ संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में समसंख्यक पत्र दिनांक 02.12. 2014 द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि कार्यालय में नियमित रूप से स्वच्छता रखने के अतिरिक्त प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को विशेष रूप से कार्यालय परिसर की साफ–सफाई व रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने हेतु कार्य किया जाए। **इसमें आंशिक संशोधन करते हुए प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को कार्यालय परिसर की साफ–सफाई व रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करने हेतु निर्धारित किया जाता है।**

आप द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को सांय 5 बजे अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) के मोबाईल पर व रिपोर्ट E-mail-Id-transport.admin@rajasthan.gov.in पर भेजना सुनिश्चित करें।

गत माह केवल प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर, अलवर, अजमेर, पाली, जोधपुर एवं बीकानेर व जिला परिवहन अधिकारी, टोंक, धौलपुर, शाहपुरा(जयपुर), दूदू, नागौर, केकड़ी, बालोत्तरा द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। भविष्य में आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उक्त कार्यवाही की रिपोर्ट निर्धारित समय पर उपरोक्त ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

"अभियान नहीं, व्यक्तिगत संस्कार है स्वच्छता!"

96 174

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ. 4 (120) परि/सामा./2014/ 62331 जयपुर, दिनांक : 02.12.2014
8/12/14

अतिरिक्त परिवहन आयुक्त /
समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी /
उपायुक्त (प्रवर्तन)/
जिला परिवहन अधिकारी,
राजस्थान ।

विषय :– कार्यालय को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रखने बाबत।

1. राज्य सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 02.10.2014 को आप द्वारा "स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Campaign) " के अन्तर्गत स्वच्छता पर आधारित शपथ ली गई थी जिसके अनुसार आपने स्वच्छता के प्रति सजग रहने, उसके लिए समय देने, हर वर्ष 100 घण्टे यानी हर सप्ताह 2 घण्टे श्रमदान करने का संकल्प लिया था।

"स्वच्छ भारत अभियान" के दौरान ली गई स्वच्छता शपथ व मुख्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक प.4 (120) परि/सामा./2014/38 दिनांक 22.09.14 व उसके संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में यह निर्देशित किया जाता है कि नियमित रूप से स्वच्छता रखने के अतिरिक्त प्रत्येक माह का अन्तिम शनिवार विशेष रूप से कार्यालय परिसर की साफ–सफाई व रिकार्ड को सुव्यवस्थित करने हेतु निर्धारित किया जाए। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाए:–

(i) कार्यालय परिसर एवं शौचालयों में गंदगी ना रखें व इसकी नियमित साफ–सफाई की जाए।

(ii) कार्यालय रिकार्ड की समय– समय पर नियमानुसार वीडिंग की जाए।

(iii) आपके कार्यालय में खराब पड़े कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फर्नीचर इत्यादि सामान यदि ठीक होने की अवस्था में है तो उन्हें ठीक करवाया जाए, अन्यथा उनको नियमानुसार नीलाम किया जाए। साथ ही कार्यालय में अनुपयोगी एवं टूटी–फूटी सामग्री को भी नियमानुसार नीलाम किया जाए जिससे कार्यालय परिसर में अनावश्यक सामान एकत्रित न हो।

(iv) आपके कार्यालय परिसर को हरा–भरा रखे, पौधरोपण करे व लगे हुए पौधों की देखभाल नियमित रूप से करे जिससे कि वातावरण प्रदूषण रहित व स्वच्छ रह सके।

175

बिन्दु संख्या 2 (i) से (iv) तक के अन्तर्गत आप द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सांय 5 बजे फैक्स नं 0141–2740326 पर भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी अपर परिवहन आयुक्त व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अपने – अपने क्षेत्राधिकार में की गई उपरोक्त कार्यवाही की जानकारी अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) के मोबाईल पर उसी दिन सांय 6 बजे पर देना सुनिश्चित करें।

2. "बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है" इसको ध्यान में रखते हुए समस्त कार्यालयों के कमरों की लाईट व पंखे जब कर्मचारी/अधिकारी कक्ष में न हो, तो बन्द रखे जाएं ताकि अनावश्यक बिजली की बर्बादी ना हो।

उपरोक्त निर्देशों का आकस्मिक निरीक्षण मुख्यालय के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा व पालना नहीं होने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा।

(गायत्री राठौड़)
परिवहन आयुक्त एवं
शासन सचिव

" अभियान नहीं, व्यक्तिगत संस्कार है स्वच्छता!"